संख्या-009/वीजीएल/067
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 09.03.2010

कार्यालय आदेश सं0 13/03/10

विषय: विभागीय जांच समय पर पूरा करना - सतर्कता प्रशासन में सुधार

संदर्भ:
- **(i) आयोग का दिनांक 19/02/1999 का अनुदेश सं0 8(1)(जी)/99(2)**
- **(ii) आयोग का दिनांक 03/03/1999 का अनुदेश सं0 8(1)(जी)/99(3)**
- **(iii) आयोग का दिनांक 06/09/1999 का परिपत्र सं0 3(वी)/99/7**
- **(iv) आयोग का दिनांक 26/02/2004 का परिपत्र सं0 एनजे/पीआरसी/1**
- **(v) आयोग का दिनांक 26/04/2004 का कार्यालय आदेश सं0 30/4/04**
- **(vi) आयोग का दिनांक 18/01/2006 का परिपत्र सं0 3/1/06**

नैसर्गिक न्याय मांग करता है कि अनुशासनिक कार्यवाहियों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए । कार्यवाहियों की समाप्ति में विलंब भ्रष्टाचार से संघर्ष के लिए निर्मित सांस्थानिक प्रोत्साहन के विरूद्ध कार्य करता है । इसके कारण या तो निर्दोष कर्मचारियों का अंवाछित उत्पीड़न होता है तथा उत्साह भंग हो सकता है, जो कार्यवाहियों के अंत में अपने विरूद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए जाते है; अथवा इससे दोषी अधिकारियों को लंबी अवधि तक दण्डात्मक कार्रवाई से बचने में सहायता मिलती है । पहले मामले में, ये संबंधित कर्मचारी के पक्ष में न्यायोचित नहीं है । बाद के मामले में, ये भ्रष्टाचारी के लिए भ्रष्ट प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है । कई अवसरों पर, अनुशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने में विलंब, न्यायालयों द्वारा भी प्रतिकूल दृष्टि से देखा गया है । वस्तुत:, ऐसे उदाहरण हैं जहां दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाहियों को केवल इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि अनुशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने में अत्यधिक विलंब हुआ था । यह महत्वपूर्ण है कि एक बार औपचारिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने के पश्चात इन्हें सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर समाप्त किया जाए ताकि दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध समय पर कार्रवाई की जा सके ।

2. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा एक मामले में विभागीय जांच करने के लिए नियुक्त किया गया जांच अधिकारी जांच तब तक शुरू नहीं कर सकता जब तक कि संबंधित दस्तावेज जैसे आरोप पत्र की प्रति, आरोपित अधिकारी का उत्तर, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नियुक्ति आदेश तथा सूचीबद्ध दस्तावेज/साक्ष्य जांच अधिकारी को प्रस्तुत न कर दिए जाएं ।

3. आयोग ने देखा है कि विभागीय जांच कार्यवाहियों से सम्बद्ध दस्तावेजों की अनुपलब्धि तथा ऐसे दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में अनुचित विलंब, जांच को समय पर पूरा करने में होने वाले विलंब का बड़ा कारण है । अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा जांच अधिकारी के नियुक्ति आदेश जारी करने में

विलंब एक अन्य कारण है । आरोपित अधिकारी द्वारा आरोपों से इंकार करने पर तत्काल जांच अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति, उन मामलों में जहां मूल दस्तावेजों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जब्त/न्यायालय में फाईल किया गया है वहां दस्तावेजों की पठनीय प्रमाणित प्रतिलिपियां बनाना, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नियुक्ति आदेशों सहित सभी सूचीबद्ध दस्तावेजों की अभिरक्षा उपलब्ध कराना आदि जैसे परिहार्य विलंब को दूर करने के लिए आयोग ने उपर्युक्त संदर्भित अपने विभिन्न परिपत्रों द्वारा विगत में कुछ निर्दिष्ट उपायों का अंगीकरण निर्धारित किया था । आयोग अपने पिछले अनुदेशों को दोहराते हुए बल देगा कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संगठन में विभागीय जांच के सभी लंबित मामलों की मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियमित अंतराल में समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि कार्यवाहियां शीघ्रतापूर्वक समाप्त/पूर्ण हो सकें ।

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/बीमा कंपनियों/स्वायत्त निकायों के सभी मुख्य कार्यकारी
3. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी